न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०– एम०–171/2018
धारा–107 द०प्र०सं०
अघनु महतो वगैरह .....प्रथम पक्ष
बनाम
लक्ष्मी नारायण महतो वगैरह .....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश	
04/ 01 /2019	प्रस्तुत वाद प्रभारी राहे ओ०पी० के अप्राथमिकी संख्या–47/17 दिनांक–27/11/2017 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई। यह विवाद मौजा–बी० नवाडीह, खाता संख्या–41 ,प्लॉट नं०–510 एवं 511 रकबा–02 डी० जमीन में शौचालय निर्माण को लेकर उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें एक दूसरे पर शांति भंग करने से संबंधित आरोप लगाया गया है। प्रथम पक्ष पार्टी गवाह:– अघनु महतो पिता–मानीक चन्द्र महतो ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि द्वितीय पक्ष मेरे जमीन पर शौचालय खोद रहा था। तब मैं मना करने गया तो झगड़ा हुआ। विवादित जमीन खाता संख्या–41 ,प्लॉट नं०–510, 511, रकबा–02 डी० है। उक्त जमीन मेरा बपौती था। मेरा पिता कलेश्वर महतो को बेचा था। कलेश्वर महतो से पुनः खरीद कर उक्त जमीन को प्राप्त किया। जिस डीड से मैंने जमीन लिया है, उसमें गाँव का कोई गवाह नहीं है। द्वितीय पक्ष का प्लॉट 511 एवं 512 में दखल कब्जा है और 510 में मेरा दखल कब्जा है। केस के बाद से द्वितीय पक्ष से झगड़ा–झंझट नहीं हुआ है। वर्त्तमान में द्वितीय पक्ष से झगड़ा–झंझट होने की कोई संभावना नहीं है। प्रथम पक्ष स्वतंत्र गवाह 1:– शुकुवा महतो पिता–रामू महतो ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन प्रथम पक्ष का है। विवदित जमीन का रसीद अघनु महतो के नाम से कटता है। द्वितीय पक्ष विवादित जमीन पर शौचालय बना रहा है, उसे ही लेकर झगड़ा हो रहा है। उभय पक्ष में झगड़ा के समय मैं सामने नहीं था। वर्त्तमान में द्वितीय पक्ष कोई झगड़ा–झंझट नहीं किए है। द्वितीय पक्ष के स्वतंत्र गवाह 1:– अनंत महतो पिता–स्व० श्वेत महतो ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन खाता सं०–41, प्लॉट नं०–510, 511 रकबा–02 डी० है। द्वितीय पक्ष इसी 2 डी० जमीन में शौचालय को बना रहा था। इसी शौचालय को बनाने को लेकर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से झगड़ा किया, यह बात गलत है कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से बार–बार झगड़ा करते है। द्वितीय पक्ष पार्टी गवाह :– लक्ष्मीचरण महतो उर्फ लक्ष्मीनाराण महतो पिता–कलेश्वर महतो ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उक्त विवदित जमीन को मेरे पिता 06/04/1979 को लिये थे। उसी समय से विवादित जमीन पर मेरा दखल कब्जा है। उक्त जमीन का मालगुजारी रसीद कलेश्वर महतो के नाम से कटता है। प्रथम पक्ष बोला कि विवदित जमीन को मैं कलेश्वर महतो से लिया हूँ, वर्ष 1989 में लिया हूँ बोला, वही मेरे पिताजी की मृत्यु 15/10/1988 को हुआ है। जिस पट्टा से विवादित जमीन को लिया हूँ, प्रथम पक्ष कहता है वह मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात् का है। मेरे नजर में प्रथम पक्ष का पट्टा गलत है। लड़ाई–झगड़ा होने के डर से उक्त स्थल पर शौचालय निर्माण नहीं किए।	

तिथि	आदेश
	उभय पक्ष के कारण पृच्छा, पुलि[redacted]वेदन, प्रस्तुत गवाहों के बयान एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि यह विवाद प्रश्नगत भूमि पर परस्पर दावे को लेकर उत्पन्न हुआ है। वर्त्तमान में शांति–व्यवस्था कायम है। उभय पक्ष को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में भी शांति व्यवस्था बनाये रखे। जहाँ तक भूमि पर दावे की बात है, आहत पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते है। लेखापित एवं संशोधित। 04/07/17 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) 04/07/17 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 13:54:52 +05:30
Location: 192.168.43.107